न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

क्रमांकः क्यू/मु.न्या.मजि./2023 रायपुर, दिनांक 04.03.2023

मैं, भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करता हूँ कि, **माह–मार्च, 2023** के अवकाश दिवसों में निम्न विवरणानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दोपहर के 03:00 बजे से 05:00 बजे तक न्यायालय में मय स्टाफ के उपस्थित होकर अत्यावश्यक कार्य यथा रिमाण्ड आदि सम्पादित करेंगे।

क्रमांक	दिनांक	अत्यावश्यक कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम
01.	02.	03.
01.	05.03.2023	श्री आलोक अग्रवाल
02.	07.03.2023	श्री मोहित सिंह
03.	08.03.2023	श्री अनूप तिग्गा
04.	11.03.2023	श्री धीरेन्द्र सिंह दांगी
05.	12.03.2023	श्री गिरिश मण्डावी
06.	18.03.2023	कु. आरती ठाकुर
07.	19.03.2023	श्री अरूण नोरगे
08.	26.03.2023	श्री ओमप्रकाश साहू
09.	30.03.2023	कु. दीप्ति लकड़ा

नोटः–

(1) उपरोक्त अवकाश दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश घोषित होने अथवा सद्भाविक त्रुटिवश किसी अवकाश का उल्लेख उक्त रिमाण्ड आदेश में होना रह जाने पर **माह मार्च, 2023 में कु. गायत्री साय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर**, उक्त अवकाश तिथि को अत्यावश्यक कार्य, रिमाण्ड आदि संपादित करेंगे।

(2) रिमाण्ड कार्य की अधिकता होने की स्थिति में रिमाण्ड कार्य के समुचित निष्पादन हेतु एक से अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी दूरभाष पर सूचित करते हुए लगायी जा सकती है।

(3) रिमाण्ड ड्यूटी के स्तंभ क्रमांक–03 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के यदि किसी कारणवश अत्यावश्यक कार्य करने हेतु असमर्थ हो तो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लिया जाकर अवकाश हेतु प्रेषित आवेदन पत्र में सहमति प्राप्त कर प्रेषित करेंगे तथा संबंधित दिनांक पर स्तम्भ क्रमांक–03 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर सहमति प्रदान करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक कार्य रिमाण्ड आदि कार्य संपादित किया जायेगा।

सही/–
(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :–

(1) श्री आलोक अग्रवाल/श्री मोहित सिंह/श्री अनूप तिग्गा/श्री धीरेन्द्र सिंह दांगी/श्री गिरिश मण्डावी/कु. आरती ठाकुर/श्री अरूण नोरगे/श्री ओमप्रकाश साहू/कु. दीप्ति लकड़ा/कु. गायत्री साय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, वे अवकाश तिथियों में रिमाण्ड ड्यूटी के पश्चात् मालखाना रायपुर में जमा कम से कम 20 संपत्तियों का निराकरण करना सुनिश्चित करेंगें।

(2) प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, रायपुर को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु संप्रेषित्।

(3) जिला अभियोजन अधिकारी रायपुर को अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, अवकाश कालीन रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन की ओर से पक्ष रखने हेतु अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रखने की व्यवस्था करें।

(4) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(5) मालखाना नाजिर रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, वे न्यायालयीन अवकाश तिथि के एक दिन पूर्व नष्ट की जाने वाली संपत्तियां चिन्हांकित कर, आवश्यक प्रविष्टियॉ कर अवकाश तिथि में अपने स्टॉफ सहित उपस्थित रहेंगें, ताकि लगभग 1/2 घण्टे की अवधि में संपत्तियों का नष्टीकरण किया जा सके।

(6) प्रस्तुतकार, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सही/–
(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रायपुर (छ.ग.)